

फार्म
2016
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2017

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम डॉ. नीतीश कुमार शर्मा वर्तमान धारित पद सि. व. वि. 15 (S.A. 15)
 वर्तमान वेतन 38450 + 9000 A.P. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 July 2017

1 उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		4 वर्तमान मूल्य	5 यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	6 उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्योरा	7 संपत्ति की वार्षिक आय	8 अभियुक्ति
	2 गृह तथा अन्य भवन	3 भूमि					
1 <u>जी-राइट</u> <u>जिला रा. 10/16</u> <u>म.प.</u>	<u>शुट</u>	<u>-</u>	<u>3,00,00,000</u>	<u>रक्षा रक्ष</u> <u>पत्नी के</u> <u>नियंत्रण</u>	<u>कृप. डि. 10</u> <u>सी. व. वि. 15</u> <u>कर्मचारी</u>	<u>None</u>	<u>-</u>

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डॉ. नीतीश कुमार
 पद सि. व. वि. 15
 विभाग उ. च. वि. वि. वि. वि.

Seen
 प्राचार्य

(150 31.3.17)
की निष्पत्ति है

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2016-17.

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम प्रो. ओमना ठास वर्तमान धारित पद सहा. पाठशापक, इतिहास
वर्तमान वेतन 34000 - 67000 + 10000 की तारीख 01-07-2017

1	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		4	5	6	7	8
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो			वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्योरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
इंदौर	गृह	—	अनुमानित 30 लाख	पंकज ठास (पति)	इंदौर विकास प्राधिकरण से प्लॉट खरीदा.	—	—

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

नियुक्ति:— म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

स्वा.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह
है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत
करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के
किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

San
[Signature]

स्वा.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह
है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत
करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के
किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम शोभना ठास
पद सहा. पाठशापक
विभाग उच्च-शिक्षा

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2016-17

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम डुलीचन्द दामके

संपत्ति का नाम तथा ब्यारे

वर्तमान वेतन 58450 + P.A.

वर्तमान धारित पद

जुलाई 2017

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2017

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	वर्तमान मूल्य		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. ग्राम खोखली जं. तह. भागलपुर जं. धार	2. पट्टा 5 धर (कटवा) (59,000/-)	3. कृषि भूमि 2 हे. 10 अंश, आदिनाथपुर	4. 10, 10 अंश	5. स्वयं	6. भद्र-बेट-वारदा	7. निरंक	8. -
2. गांगर-गोल्डिया	3. भूखण्ड 30X50	4. 20, 10 अंश	5. स्वयं	6. स्वयं	7. निरंक	8. निरंक	9. निरंक
3. गांगर-गांगर	4. भूखण्ड 30X50	5. 5 (काटवा)	6. 2 (काटवा)	7. स्वयं	8. स्वयं	9. निरंक	10. निरंक
4. गांगर-गांगर	5. भूखण्ड 30X50	6. 15 (काटवा)	7. 15 (काटवा)	8. स्वयं	9. स्वयं	10. निरंक	11. निरंक
5. गांगर-गांगर	6. भूखण्ड 30X50	7. 5 (काटवा)	8. 5 (काटवा)	9. स्वयं	10. स्वयं	11. निरंक	12. निरंक
6. गांगर-गांगर	7. भूखण्ड 30X50	8. 5 (काटवा)	9. 5 (काटवा)	10. स्वयं	11. स्वयं	12. निरंक	13. निरंक

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डुलीचन्द दामके
 पद सहायक प्रो. 21/10/08
 विभाग उच्च शिक्षा बिक्रानगर

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2016-17

C31.3.17) अ
(Part 8)

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम विजय चन्द्र बोस वर्तमान धारित पद असहायक
वर्तमान वेतन 13970+2800 पग अगली वेतनवृद्धि की तारीख 03/04/2017

1 उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	2 संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		4 वर्तमान मूल्य	5 यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	7 संपत्ति की वार्षिक आय	8 अभियुक्ति
	अन्य भवन	भूमि				
मुंबई जिल्हा सागर प्रांत	गरे प्लॉट 15	—	9.00 लाख नालाख	पति देना रु	—	—
मुंबई जिल्हा सागर प्रांत	प्लॉट 15	—	9.00 लाख नालाख	पति देना रु	—	—
मुंबई जिल्हा सागर प्रांत	प्लॉट 25	प्लॉट	5.00 लाख (पॉलिफेज)	पति देना रु	—	—

• जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
• ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

हस्ताक्षर विजय चन्द्र बोस

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।
टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह मांग की जाती है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

नाम वि. च. बोस
पद असहायक
विभाग असहायक

Sun

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2016-17

31-3-2017 की स्थिति में

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम श्रीमती संगीता कालोदिया वर्तमान धारित पद सहा. जे. डी. 03
 वर्तमान वेतन 95200 + 24000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2017

1 उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		4 वर्तमान मूल्य	5 यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	6 उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्योरा	7 संपत्ति की वार्षिक आय	8 अभियुक्ति
	2 गृह तथा अन्य भवन	3 भूमि					

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर Shalodiy

श्रीमती संगीता कालोदिया
 सहा. जे. डी. 03
 शा. महाविद्यालय सुनेर

टिप्पणी- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

Sun

प्राचार्य
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय सुनेर